न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सोंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 12/15 (139/11) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

(दर्ज रजिस्टर धारा 225 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान :– 1. श्योनारायण पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ग्राम करवड की ढाणी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:——— अपीलांट

बनाम

1 सूरजमल पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी करवड की ढाणी तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:———असल रेस्पो0 वादी

2 तेजसिंह पुत्र जगराम
3 मु0 हरद्वारी बेवा प्रभातीराम (मृतक)
4 लाजपतराम पुत्र प्रभातीराम
5 मु0 विधा देवी
6 मु0 सरोज देवी
7 मु0 हेमलता
8 मु0 सुमन पुत्रियान प्रभातीराम
9 मु0 सन्तरा पत्नि सूरजमल
10 रमेश चन्द
11 रोहिताश
12 सत्यवीर पुत्रान राजकरण जाति अहीर निवासी करवड की ढाणी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
13 तहसीलदार, कोटकासिम

:——— तरतीबी रेस्पो0.

अपील विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 17.3.2011

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :— वकील अपीलांट :— श्री महेन्द्र यादव

वकील रेस्पो0सं0 1 :— श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 26.03.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 326/07 अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 17.3.2011 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने आराजी हाल खसरा नम्बर 1225, 1226, 1220, 1033, 1247, 1248, 145, 168, 1299, 1300, 1016, 1168 वाके ग्राम करवड की ढाणी तहसील कोटकासिम की बाबत तकासमा का वाद प्रस्तुत किया था, जिसे अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया था । इस निर्णय के खिलाफ अपीलांट प्रतिवादी श्योनारायण ने अदालत हाजा में पूर्व में अपील संख्या 139/11 प्रस्तुत की थी, जो अपील अदालत हाजा द्वारा दिनांक 7.6.2012 को खारिज की गई थी । अदालत हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 7.6.2012 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो अपील दिनांक 12.2.2015 को माननीय राजस्व मण्डल ने स्वीकार कर प्रकरण अदालत हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्ष को समुचित सनुवाई का अवसर प्रदान करते हुये उपखंड अधिकारी, कोटकासिम के रेकार्ड के परिप्रेक्ष्य में मनन कर अपील में चाही गई इस्तदुआ पर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करें । अतः माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्देशों की अनुपालना में अदालत हाजा द्वारा इस अपील का निस्तारण किया जा रहा है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी, क्योंकि मेरी गलत तौर पर इकतरफा की गई थी । मेरी व्यक्तिगत तामील नहीं हुई थी । असल रेस्पो0 ने जब हमारे कब्जे में मजाहमत की तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई थी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि तहत अदालत में मेरी गलत तौर पर इकतरफा की गई थी । मेरी कोई व्यक्तिगत तामील नहीं हुई थी । फर्जी तामील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

कराई गई है। मैंने अपनी इकतरफा खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र तहत अदालत में दिया था, उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ । विवादित भूमि का पूर्व में ही बाहमी बटवारा हो गया था । पुनःबटवारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि इनकी प्रोपर तामील हुई थी, परन्तु ये जानबूझकर तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुये थे । इनको अपीलाधीन निर्णय की पूर्व से ही जानकारी थी, इसके बावजूद इन्होंने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है । तहत अदालत में इन्होंने अपनी इकतरफा खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था । इन्होंने पहले आदेश 09 नियम 09 सी0 पी0 सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । फिर इससे दुरूस्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 7 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया । जो विधिसम्मत नहीं है । इन्होंने तहत अदालत में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की । विवादित भूमि का पूर्व में कोई बाहमी बटवारा नहीं हुआ था। तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य जोर इस तथ्य पर दिया है कि उसकी व्यक्तिगत तामील नहीं हुई है तथा उनके इकतरफा खुलवाने के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली में अपीलांट प्रतिवादी श्योनारायण के निमित्त समन/नोटिस एवं इकतरफा खुलवाने के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रतिवादी अपीलांट श्योनारायण के समन पर तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि श्योनारायण घर पर मिला, लेने से मना किया, गवाहों के सामने खुले मकान पर चस्पा किया । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट आने के बाद तहत अदालत ने प्रतिवादी अपीलांट श्योनारायण की इकतरफा की । इसके बाद श्योनारायण ने एक प्रार्थना पत्र तहत अदालत में अपनी इकतरफा खुलवाने हेतु दिया था । यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी

प्रा0 पत्र आदेश 09 नियम 09 सी0 पी0 सी0 के तहत प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद अपीलांट ने एक अन्य प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 के स्थान पर अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 पढा जावे । तहत अदालत ने आदेशिका दिनांक 2.2.2012 में अंकित किया है कि जवाव प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये । वहस प्रार्थना पत्र दिनांक 2.3.2011 को पेश हो ।

7 तहत पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि अपीलांट ने अपनी इकतरफा खुलवाने हेतु तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका निस्तारण नहीं हुआ था । इसके अतिरिक्त सी0 पी0 सी0 में तामील के सम्बन्ध में प्रावधान दिया गया है कि जहां तामील पर संदेह हो, वहां तामील कुनिन्दा से शपथ पत्र लिया जावे और उसकी प्रतिपरीक्षा कराई जावे यह प्रकिया भी तहत अदालत द्वारा नही अपनाई गई है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलांट की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.3.2011 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 23.04.2021 को उपस्थित हों ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर